इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. 9633-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०११

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०११ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथास्थापित मूल नियम (फन्डामेंटल रूल्स) ५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) की धारा २ में, मूल नियम (फन्डामेंटल रूल्स) के नियम ५६ में,—

(एक) उपनियम (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (१-क), (१-ख), (१-ग), (१-घ), (१-ङ), (१-च), (१-छ), (१-ज), (१-झ) एवं (१-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-क), (१-ख), (१-ग), (१-घ), (१-ङ), (१-च), (१-छ), (१-ज), (१-झ) एवं (१-ञ) में उल्लिखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा.";

(दो) उपनियम (१-क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(१-क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में, सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न कोई शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.";

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उपनियम (१-छ), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा, किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.";

(तीन) उपनियम (१-ग) को उसके खण्ड (क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) में, अंक "६२" और शब्द "बासठ" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "पैंसठ" स्थापित किए जाएं और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) खण्ड (क) में, अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की की गई वृद्धि दिनांक ३१ अगस्त, २०१० से लागू हुई समझी जाएगी.";

(चार) उपनियम (१-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(१-ङ) (क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, उपनियम (१-ञ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी:

परन्तु उपनियम (१-ञ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी.";

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय नर्स" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, २००७ की अनुसूची-एक में, समूह "ग" परिचर्या सेवाएं के अन्तर्गत वर्णित एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, १९८९ की अनुसूची एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्ते की वह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध ३१ अक्टूबर, २००९ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(१-च) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय संबंधित विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय सबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सा

पद पर की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासकीय पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम २० वर्ष तक चिकित्सा विधिक संबंधी कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(१-छ) (क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप नियम (१-क), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु उपनियम (१-क), (१-ज) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ''शासकीय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों मध्यप्रदेश शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, १९९० की अनुसूची-एक के अधीन ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध १६ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त समझे जाएंगे.

(१-ज) (क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-झ) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ''शासकीय शिक्षक'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, २००४ की अनुसूची-दो के अधीन में वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति

द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक १४ सितम्बर, २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(१-झ) (क) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप नियम (१-क), (१-छ) एवं (१-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (१-क), (१-छ) एवं (१-ज) में उल्लिखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, २००४ की अनुसूची-दो के अधीन वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर या सहायक कर्मशाला अधीक्षक या वीडियोग्राफर या सिस्टम एनालिस्ट— श्रेणी-तीन या केमरामेन या कलाकार (आर्टिस्ट) या सहायक शल्य चिकित्सक के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक १९ अक्टूबर २०१० से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

"(१-ञ) उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (१-ङ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी :

परन्तु उपनियम (१-ङ) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न कोई शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी.";

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय नर्स" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची एक में वर्णित पद पर नर्सिंग कालेज, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, १९८९ की अनुसूची-एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्ते कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८८ की अनुसूची-एक में, उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य की अधिवार्षिकी आयु ६२ वर्ष है, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, २००७ की अनुसूची-एक में, समूह ''ग'' ''परिचर्या सेवाएं'' में वर्णित पद पर तथा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी परिचर्या सेवाएं भर्ती नियम, १९८९ की अनुसूची-एक और मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में नर्सिंग कालेज, इन्दौर के अधीन नियुक्त प्रत्येक शासकीय नर्स तथा मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, १९८७ की अनुसूची-एक में उल्लिखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा), कनिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) तथा चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के प्रत्येक सदस्य की अधिवार्षिकी आयु ६० वर्ष है. काफी समय से सरकार उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों की अत्यधिक कमी का सामना कर रही है. उपरोक्त कमी से निपटने के लिए, सरकार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) को यथोचित् रूप से संशोधित करते हुए उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु को पैंसठ वर्ष तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित करती है.

२. सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के आधार पर दिनांक १-१-२००६ से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तथा पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के शासकीय शिक्षकों के वेतनमानों को पुनरीक्षत करने का विनिश्चय किया है. योग्य व्यक्तियों को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षकों को लम्बे समय तक सेवा में बनाए रखने के उद्देश्य से दोनों ही संस्थाओं ने ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर या सहायक कर्मशाला अधीक्षक या वीडियोग्राफर या सिस्टम एनालिस्ट ग्रेड-३ या कैमरामेन या कलाकार (आर्टिस्ट) या सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से भिन्न ऐसे समस्त शासकीय शिक्षकों की, जो कक्षा में पढ़ा रहे रहे हों, अधिवार्षिकी आयु को ६२ वर्ष से बढ़ाकर ६५ वर्ष करने की सिफारिश की है. इस सिफारिश को क्रियान्वित करने की दृष्टि से सरकार ने भी मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) को यथोचित् रूप से संशोधित करते हुए राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों तथा पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत उपरोक्त वर्णित श्रेणी के शासकीय शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु को ६२ वर्ष से बढ़ाकर ६५ वर्ष करने का विनिश्चय किया है.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ३० मार्च, २०११.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि होने से संबंधित शासकीय सेवकों की बढ़ी हुई अधिवार्षिकी-आयु तक वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के मद में राज्य शासन पर आवर्ती व्यय भार आना संभावित है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.